भारत संघ और अन्य

बनाम

शैक अली

अक्टूबर 17,1989

(ए. एम. अहमदी और के. एन. सैकिया, जे. जे.]

भारतीय रेलवे स्थापना कोडः नियम 2046 (एच) (ii)-समयपूर्व सेवानिवृत्ति-केवल तभी स्वीकार्य है जब रेलवे कर्मचारी ने 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। -एफ. आर. 56 (जे) के समान।

उदारीकृत पेंशन नियम, 1950/रेलवे पेंशन नियमावलीः नियम 2 (2)/पैराग्राफ 620 (ii) समयपूर्व सेवानिवृत्ति-जनहित की आवश्यकता-संशोधन के माध्यम से निगमन की आवश्यकता-जोर दिया गया।

प्रतिवादी दक्षिण मध्य रेलवे में यार्ड मास्टर के रूप में कार्यरत था, जो 23 फरवरी 1986 को 14.00 और 22.00 घंटों के बीच ड्यूटी पर था। रिलीवर की अनुपस्थिति में उन्होंने 24 फरवरी को सुबह 8 बजे तक अपना काम जारी रखना था। उन्होंने अपने कर्मचारियों को भोजन करने की अनुमति दी और चूंकि वे उचित समय के भीतर नहीं लौटे, इसलिए वे केबिन की ओर चले गए जहाँ कर्मचारी आमतौर पर अपना भोजन लेते थे। केबिन से नीचे आ रहे संभागीय सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी की पहचान के बारे में पूछताछ की। प्रत्यर्थी ने बदले में उक्त अधिकारी की पहचान मांगी। अधिकारी इस पर नाराज हो गया और प्रतिवादी को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इसके तुरंत बाद प्रतिवादी को निलंबित कर दिया गया। आगे निलंबन का पालन किया गया और भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान संहिता के नियम 2046 के तहत समय से पहले सेवानिवृत्ति के आदेश के साथ जवाब दिया गया।

प्रत्यर्थी ने श्री गफूर मियां और अन्य बनाम निदेशक, डी. एम. आर. एल., ए. आई. एस. एल. जे. 1988 2 सी. ए. टी. 277 मामले के फैसले पर भरोसा करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और न्यायाधिकरण के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती दी, में अभिनिर्धारित किया कि समयपूर्व सेवानिवृत्ति का विवादित आदेश पारित करने वाले मंडल रेल प्रबंधक, इस तरह का आदेश देने के लिए सक्षम नहीं थे, और आदेश को रद्द कर दिया।

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ है। हालांकि नियम 2046 (एच) के उपखंड (ii) के तहत, किसी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद समय से पहले सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है। (प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विपरीत) इस खंड को प्रत्यर्थी के मामले में लागू किया गया था और स्वीकार किया गया था कि वह तृतीय श्रेणी की सेवा में था और जिसकी आयु 55 वर्ष नहीं थी। अपीलार्थी ने रेलवे पेंशन नियमावली के पैरा 620 (ii) पर भरोसा किया, जो प्राधिकरण को 30 साल की सेवा पूरी करने के बाद रेल मार्ग सेवक को सेवा से हटाने की शक्ति देती है।

प्रत्यर्थी की ओर से, यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी ने अपना रुख बदल रहा है और एक बाहरी आधारों पर आदेश का समर्थन करने की कोशिश कर रहा है जो कि आदेश में शामिल ही नहीं थे, जैसे कि प्रत्यर्थी का असंतोषजनक सेवा रिकॉर्ड; और प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त पदोन्नति को देखते हुए इसका कोई आधार नहीं है, वो भी अंतिम समयपूर्व सेवानिवृत्ति से ठीक पहले।

अपील को खारिज करते हुए, यह न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 यह आदेश भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के नियम 2046 (एच) (ii) के तहत पारित किया गया था, वो भी यह सत्यापित किए बिना कि, पदधारी पचपन वर्ष

की आयु प्राप्त कर चुका था। चूँकि आदेश के आने के समय उत्तरदाता निर्विवाद रूप से तृतीय श्रेणी की सेवा में था, इसलिए उनका मामला नियम 2046 (एच) के दूसरे खंड द्वारा शासित था। विवादित आदेश में कहा गया है कि प्रतिवादी पहले ही तीस साल की योग्यता सेवा पूरी कर चुका था, लेकिन यह नहीं कहा गया है कि वह पचपन वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका था। प्रत्यर्थी के अनुसार वह उस तारीख को 54 वें वर्ष में भाग ले रहे थे। यह स्पष्ट रूप से उनके मामले को उक्त नियम के दायरे से बाहर ले गया। भले ही आदेश उदारीकृत पेंशन नियम, 1950 के नियम 2 (2) के तहत करने का इरादा हो लेकिन इस आवश्यकता को पूरा करना था। विवादित आदेश पारित करने का तत्काल और निकटवर्ती कारण निस्संदेह 23/24 फरवरी, 1986 की दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लेकिन उक्त घटना प्रत्यर्थी के मामले की जांच हेतु समीक्षा समिति के लिए कोई अवसर नहीं था। यदि प्रत्यर्थी का सेवा रिकॉर्ड इतना खराब होता जैसा कि अब बताया जाना चाहिए, तो उसे सहायक यार्ड मास्टर के पद पर 22 अगस्त, 1984 को और बाद में 31 जनवरी, 1986 को यार्ड मास्टर के पद पर पदोन्नत नहीं किया जाता। समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश प्रकृति में दंडात्मक है और प्राकृतिक नियमों के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है, जिसे बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [426 जी-एच; 460 एफ-जी; 463 ए-बी]

1.2 एफ. आर. 56 (जे) के मौलिक नियम काफी हद तक रेलवे स्थापना संहिता के नियम 2046(h)(ii) के समान है और उदारीकृत पेंशन नियम, 1950 का नियम 2(2) और रेलवे पेंशन नियमावली का अनुच्छेद 620 भी आपस में समान है। चूंकि नियम 2(2) संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में निरस्त कर दिया गया है, इसलिए अनुच्छेद 620 (ii) का भी यही हश्र होना है। आदेश पारित करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक की क्षमता के अलावा, आदेश का अनुच्छेद 620 (ii) के तहत भी समर्थन नहीं किया जा सकता है। [462 बी-डी]

डाकघर के वरिष्ठ अधीक्षक और अन्य बनाम इजहार हुसैन, [1989] 2 स्केल 222, पर निर्भर था।

भारत संघ बनाम आर. नरसिम्हन, [1988] पूरक एस. सी. सी. 636 संदर्भित।

2. संबंधित अधिकारी उदारीकृत पेंशन नियम, 1950 के नियम 2 (2) और रेल मार्ग पेंशन नियमावली के पैराग्राफ 620 (ii) में संशोधन करके अच्छा करेंगे, ताकि इसमें लोक हित की आवश्यकता को शामिल किया जा सके, यह स्पष्ट करते हुए कि तीस साल की योग्यता सेवा पूरी करने पर समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश केवल लोक हित में दिया जा सकता है। [463 सी-डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 2413/1989

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद के ओ. ए. सं. 307/1987 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 3.10.1988/12.10.1988 से।

अनिल देव सिंह, बी. पार्थसारथी, हेमंत शर्मा और सी. वी. सुब्बा राव - अपीलार्थियों के लिए।

श्रीमती किट्टी कुमारमंगलम, सुश्री विजयलक्ष्मी, कैलाश वासदेव, पी. परमेश्वरन और ए. टी. एम. संपत - प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया-

अहमदी, जे.

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद ने 3 अक्टूबर, 1988 के अपने आदेश में कहा कि डिवीजनल रेलवे मैनेजर (बीजी) एससी रेलवे, सिकंदराबाद, 25 अप्रैल, 1986 को रेलवे कर्मचारी शेख अली को भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान संहिता के नियम 2046 (एच) (ii), खंड II-पेंशन नियमों (जिसे इसके बाद 'कोड' कहा जाता है) के तहत सेवा से

सेवानिवृत्त करने का विवादित आदेश पारित करने में सक्षम नहीं था। उक्त आदेश से व्यथित भारत संघ विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय में अपील करने आया है।

प्रतिवादी शेख अली ने पूर्ववर्ती निजाम राज्य रेल में 1953 में या उसके आसपास पॉइंटमैन के रूप में सेवा जोईन की और अपनी सेवा के दौरान समय-समय पर पदोन्नति प्राप्त की। अंतिम पदोन्नति 31 जनवरी, 1986 को Rs.550-750 के संशोधित पे स्केल पर यार्ड मास्टर के रूप में हुई। तथ्यों से पता चलता है कि वह 23 फरवरी, 1986 को सनतनगर स्टेशन पर 14.00 और 22.00 बजे के बीच ड्यूटी पर थे। चूंकि उनका रिलीवर 23.00 बजे पर नहीं आया, इसलिए उन्हें 24 फरवरी, 1986 के 22.00 बजे से 08.00 बजे तक के लिए ड्यूटी करने को मजबूर होना पड़ा। लगभग 1 बजे, उन्होंने अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को अपना भोजन करने और जल्द से जल्द ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने की अनुमति दी। चूंकि कर्मचारी उचित समय के भीतर ड्यूटी पर नहीं लौटे, इसलिए वे केबिन की ओर चले गए जहाँ वे आमतौर पर अपना भोजन करते थे। उस समय संभागीय सुरक्षा अधिकारी ए. भारत भूषण केबिन से नीचे आए और प्रतिवादी की पहचान के बारे में पूछताछ की। उत्तरदाता ने उक्त अधिकारी की पहचान के बारे में पूछताछ करके प्रतिवाद किया। यह प्रतिवादी का कहना है कि चूंकि वह उक्त अधिकारी को नहीं जानता था, इसलिए उसने अपनी पहचान बताने से पहले उसकी पहचान मांगी। अधिकारी प्रत्यर्थी के व्यवहार से नाराज था और उसे गंभीर परिणामों के साथ प्रताड़ित किया। यह प्रतिवादी का मामला यह है कि उसके तुरंत बाद उसे निलंबित कर दिया गया था। जब वह स्टेशन अधीक्षक के सुझाव पर अधिकारी से मिलने गए, तो उक्त अधिकारी ने अशिष्ट व्यवहार किया और उनका स्पष्टीकरण सुनने से इनकार कर दिया। 19 मार्च, 1986 के आदेश द्वारा प्रतिवादी को 4 मार्च, 1986 से निलंबित कर दिया गया था। उसके विरुद्ध न तो आरोप पत्र दायर किया गया था और

न ही उनके खिलाफ कोई जांच की गई थी, लेकिन 25 अप्रैल, 1986 के समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश दे दिया गया, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

> "डिवीजनल रेलवे मैनेजर (बीजी), सिकन्दराबाद की राय है कि यह जनहित में करना आवश्यक है, इसलिए भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान के नियम 2046 के खंड (एच) (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डिवीजनल रेलवे मैनेजर (बीजी), सिकन्दराबाद तत्काल प्रभाव से श्री शेख अली, सहायक वार्ड मास्टर, सनतनगर को सेवानिवृत्त करता है, जो कि पहले ही अपनी योग्यता सेवा के 30 वर्ष पूरे कर चुका है।"

यह भी निर्देश दिया गया कि प्रत्यर्थी को तीन महीने के नोटिस के बदले में तीन महीने की अवधि के लिए उसके वेतन और भत्तों की राशि के बराबर राशि का भुगतान किया जाना चाहिए, जिसकी गणना उस दर पर की जाती है जिस पर वह अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले वेतन प्राप्त कर रहा था। प्रत्यर्थी ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19 के तहत एक आवेदन को प्राथमिकता देकर समयपूर्व सेवानिवृत्ति के इस आदेश को चुनौती दी। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने रेलवे पेंशन नियमावली के पैरा 620 (ii) के साथ संबंधित नियम 2046 (एच) (ii) को पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि डिवीजनल रेलवे मैनेजर इस तरह का समयपूर्व सेवानिवृत्ति का विवादित आदेश आदेश देने के लिए सक्षम नहीं था। इस दृष्टिकोण को लेते हुए न्यायाधिकरण ने पहले के ए. आई. एस. एल. जे. 1988 2 सी. ए. टी. 277 में पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें उसने अभिनिर्धारित किया कि केवल नियुक्त करने वाले अधिकारियों में सर्वोच्च प्राधिकारी ही संविधान के अनुच्छेद 311 में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने के लिए सक्षम है। इस दृष्टिकोण में कि न्यायाधिकरण ने निर्णय लिया, न्यायाधिकरण ने 25 अप्रैल 1986

के समयपूर्व सेवानिवृत्ति के विवादित आदेश को निरस्त किया। उक्त आदेश के खिलाफ भारत संघ ने यह अपील प्रस्तुत की है।

संहिता के नियम 2046 (ए) के तहत आमतौर पर प्रत्येक रेलवे कर्मचारी जिस दिन वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा, उसी दिन वह सेवानिवृत्त होगा। हालांकि, उक्त प्रावधान के बावजूद, नियम 2046 (एच) नियुक्ति प्राधिकारी को किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँचने से पहले ही सेवानिवृत्त करने का अधिकार देता है। नियम 2046 (एच), जहाँ तक यह हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है, वह निम्नानुसार हैः

> "2046 (एच) इस नियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो उसे किसी भी रेलवे सेवक को तीन माह का लिखित नोटिस देकर या ऐसे नोटिस के बदले में तीन माह का वेतन व भत्ते का भुगतान कर सेवानिवृत्ति की अवधि से पूर्व ही सेवानिवृत्त करने की पूर्ण अधिकारिता है-
>
> (i) यदि वह प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की सेवा या पद पर है और उसने 35 वर्ष आयु प्राप्त करने से पहले सरकारी सेवा में प्रवेश किया हो और उसने पचास वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो,
>
> (ii) अन्य मामलों में पचपन वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।"

चूंकि प्रतिवादी निर्विवाद रूप से उस समय तृतीय श्रेणी की सेवा में था जब विवादित आदेश दिया गया था, इसलिए उसका मामला नियम 2046 (एच) के दूसरे खंड द्वारा शासित था। विवादित आदेश में कहा गया है कि प्रतिवादी पहले ही तीस साल की योग्यता सेवा पूरी कर चुका था लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया है कि उसकी आयु

पचपन वर्ष की हो गई थी। प्रत्यर्थी का तर्क था कि उसे समय से पहले सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि नियम 2046 (एच) के खंड (ii) के तहत उसने विवादित आदेश की तारीख को पचपन वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी। उनके अनुसार उस तारीख को वह 54 वें वर्ष में चल रहे थे। यह स्पष्ट रूप से उनके मामले को उक्त नियम के दायरे से बाहर ले गया।

इस कठिनाई को समझते हुए विभाग द्वारा रेलवे पेंशन नियमावली के पैराग्राफ 620 (ii) पर वापस आने के लिए एक प्रयास किया गया, जो निम्नानुसार हैः

> "620 (ii) रेलवे कर्मचारी को सेवा से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी किसी कमर्चारी को समय पूर्व सेवानिवृत्त कर सकता है यदि उसने 30 वर्ष की योग्यता सेवा पूर्ण कर ली हो, और बशर्ते कि प्राधिकरण इस संबंध में रेलवे कर्मचारी को कम से कम तीन माह पूर्व एक लिखित सूचना देगा और इस तरह के नोटिस के बदले में महीने का वेतन और भत्ते अदा करेगा।"

भारत संघ बनाम आर. नरसिम्हन, [1988] पूरक एस. सी. सी. 636 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया था। इस तर्क के समर्थन में कि रेलवे पेंशन नियमावली द्वारा शासित एक रेलवे कर्मचारी को उसकी तीस साल की योग्यता सेवा पूरी करने पर उसे सेवा से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय से पहले सेवानिवृत्त किया जा सकता है। इस नियम के तहत, प्राधिकरण को अपनी उम्र की परवाह किए बिना तीस साल की योग्यता सेवा पूरी करने वाले एक रेलवे कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के लिए उसे सेवा से हटाने की शक्ति प्रदान की जाती है। न्यायाधिकरण ने यह विचार रखा कि हालांकि नियम 2046 (एच) (ii) को साक्ष्य के अभाव में आकर्षित नहीं किया जाएगा कि पदधारी ने पचपन वर्ष की आयु प्राप्त की या नहीं। विभाग आदेश का

समर्थन करने के लिए पैरा 620 (ii) पर भरोसा करने का हकदार होगा यदि वह यह दिखा सकता है कि आदेश पारित करने वाला अधिकारी उक्त पैराग्राफ के तहत ऐसा करने में सक्षम था। हालाँकि, न्यायाधिकरण की राय थी कि चूंकि पैराग्राफ 620 (ii) के तहत शक्ति का उपयोग केवल रेलवे कर्मचारी को सेवा से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है, इसलिए डिवीजनल रेलवे मैनेजर ऐसा प्राधिकारी नहीं होने के कारण विवादित आदेश पारित करने में सक्षम नहीं था और इसलिए आदेश स्पष्ट रूप से अमान्य और कानून में निष्क्रिय था। इस दृष्टिकोण को लेते हुए, न्यायाधिकरण ने ऊपर निर्दिष्ट पहले के पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया। हमें बताया गया कि चूंकि न्यायाधिकरण का उक्त पूर्ण पीठ का निर्णय इस न्यायालय द्वारा जांच के दायरे में है, इसलिए इस दीवानी अपील को इस न्यायालय में लंबित इसी तरह के मामलों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हालाँकि, प्रतिवादी-कर्मचारी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस मामले को न्यायाधिकरण के पूर्ण पीठ के फैसले से उत्पन्न होने वाले अन्य मामलों के साथ जोड़ना आवश्यक नहीं था क्योंकि तत्काल मामले में उन्होंने दो आधारों पर न्यायाधिकरण के आदेश का समर्थन करने का प्रस्ताव रखा था। (i) कि वह अनुच्छेद 620 (ii) संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार से बाहर था और (ii) कि विवादित आदेश दंडात्मक प्रकृति का था और उचित जांच के बिना पारित नहीं किया जा सकता था। जहाँ तक प्रथम विवाद का संबंध है, उन्होंने इस न्यायालय के निर्णय पर वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर और अन्य बनाम इजहार हुसैन, [1989] 2 स्केल 222 पर भरोसा किया, जिसमें उदारीकृत पेंशन नियम, 1950 के समान नियम 2 (2) को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के रूप में निरस्त कर दिया गया था। जहाँ तक उनके समर्पण के दूसरे अंग का संबंध है, उन्होंने कहा कि प्रतिवादी को 31 जनवरी 1986 को यार्ड मास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया था। इसलिए समय पूर्व सेवानिवृत्ति का कोई आधार नहीं है। इजहार हुसैन के मामले में इस न्यायालय ने यह

एफ. आर. 56 (जे) और पेंशन नियम 2 (2) पर गौर किया है। एफ. आर. 56 (जे) काफी हद तक संहिता के नियम 2046 (एच) (ii) के समान है और पेंशन नियम 2 (2) काफी हद तक अनुच्छेद 620 के समान है, जिससे हम संबंधित हैं। चूंकि नियम 2 (2) को संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में निरस्त कर दिया गया है, इसलिए अनुच्छेद 620 (ii) का भी यही परिणाम होगा। रेलवे प्रशासन के विद्वान वकील ने इस कठिनाई को महसूस करते हुए इस आधार पर विवादित आदेश का समर्थन करने की कोशिश की कि प्रतिवादी को सेवानिवृत्त करना जनहित में था। प्रत्यर्थी के वकील ने तर्क दिया कि रेलवे प्रशासन अपना रुख बदल रहा है, उसने पहले संहिता के नियम 2046 (एच) (ii) के तहत विवादित आदेश पारित किया और फिर पेंशन नियमों के नियम 2 (2) पर भरोसा किया और जब यह पाया गया कि कोई सहायता नहीं है तो उसे रेलवे पेंशन नियमावली के पैराग्राफ 620 (ii) में बदल दिया गया और अब वह एक बाहरी आधार पर आदेश का समर्थन करने की कोशिश कर रहा है जिसका विवादित आदेश में उल्लेख नहीं है। हमें लगता है कि आलोचना उचित तर्कों पर आधारित है। इसलिए, हमारा विचार है कि आदेश पारित करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक की क्षमता के अलावा, आक्षेपित आदेश को उपरोक्त कारण से अनुच्छेद 620 (ii) के तहत समर्थित नहीं किया जा सकता है।

इसके बाद हम पाते हैं कि प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील जहाँ तक उसके विवाद के दूसरे अंग का संबंध है, कर्मचारी टेरा फर्मा पर है। तथ्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 1953 में निजाम राज्य रेलवे सेवा में शामिल होने के बाद प्रतिवादी ने नियत समय में पदोन्नति प्राप्त की और 22 अगस्त, 1984 के एक आदेश द्वारा उन्हें सहायक यार्ड मास्टर नियुक्त किया गया। इसके बाद, उन्हें 31 जनवरी, 1986 के आदेश से यार्ड मास्टर के अगले उच्च पद पर पदोन्नत किया गया। जब वे 24 फरवरी, 1986 को यार्ड मास्टर के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, तो

विचाराधीन घटना हुई जो 25 अप्रैल, 1986 के विवादित आदेश का आधार बनी। हम तथ्यों से पाते हैं कि संभागीय सुरक्षा अधिकारी इस तथ्य से नाराज थे कि प्रतिवादी ने मांग की थी कि वह (प्रतिवादी) ऐसा करने से पहले अपनी पहचान का खुलासा करे। प्रतिवादी को तुरंत निलंबित कर दिया गया और उक्त अधिकारी ने उसका स्पष्टीकरण सुनने से इनकार कर दिया। निलंबन आदेश को 19 मार्च, 1966 के आदेश द्वारा और बढ़ा दिया गया था। इसके बाद 25 अप्रैल, 1986 को सेवानिवृत्ति का विवादित आदेश जारी किया गया। यह आदेश संहिता के नियम 2046 (एच) (ii) के तहत यह सत्यापित किए बिना पारित किया गया था कि पदधारी ने पचास वर्ष की आयु प्राप्त की थी या नहीं। भले ही आदेश का उद्देश्य पेंशन नियमों के नियम 2 (2) के तहत होना था, लेकिन इस आवश्यकता को पूरा करना था। तत्काल और विवादित आदेश पारित करने का निकटतम कारण निस्संदेह 23/24 फरवरी, 1986 की दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लेकिन इसके लिए घटना की समीक्षा समिति के लिए प्रतिवादी के मामले की जांच करने का कोई अवसर नहीं था। यदि प्रत्यर्थी का सेवा रिकॉर्ड इतना खराब होता जैसा कि अब बताया जा रहा है, तो उन्हें 22 अगस्त, 1984 को सहायक यार्ड मास्टर के पद पर और बाद में 31 जनवरी, 1986 को यार्ड मास्टर के पद पर पदोन्नत नहीं किया जाता। इसलिए, हम संतुष्ट हैं कि समयपूर्व सेवानिवृत्ति का विवादित आदेश दंडात्मक प्रकृति का है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है, जिसे कायम रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

उपरोक्त कारणों से (उस एक से अलग, जिस पर अधिकरण ने अपने निर्णय की स्थापना की), हमारी राय है कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतिम आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हम इस अपील को 3000 रुपये की कोस्ट के साथ खारिज करते हैं।

समाप्त करने से पहले हम देख सकते हैं कि संबंधित अधिकारीके लिए यह बेहतर होगा कि पेंशन नियमों के नियम 2 (2) और ऊपर निर्दिष्ट पैराग्राफ 620 (ii) में संशोधन किया जाए ताकि उसमें जनहित की आवश्यकता को शामिल किया जा सके, यानी तीस साल की योग्यता सेवा पूरी करने पर समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश केवल जनहित में दिया जा सकता है।

याचिका खारिज कर दी गई।

जी एन.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।